

!! कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक : स्था./2024/

दिनांक :

21 FEB 2024

-: आदेश :-

इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्वादेश में आंशिक संशोधन करते हुए मैं, हरेन्द्र सिंह, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 194 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह आदेश देता हूँ कि जब तक कोई विशेष आदेश न हो तब तक बहरोड थाने की सीमा क्षेत्र से उद्भूत होने वाले सेशन प्रकरणों का विचारण दिनांक 22.02.2024 से अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 2, बहरोड के न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

sd-

(हरेन्द्र सिंह)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र

क्रमांक : स्था./2024/6849-60 Mail

दिनांक : 21 FEB 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- मानीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 2- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1 बहरोड/सं. 2 बहरोड
- 3- अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बहरोड/सं. 1 बहरोड/सं. 2 बहरोड/सं. 3 बहरोड
- 4- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहरोड
- 5- न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, नीमराना
- 6- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बहरोड/नीमराना
- 7- सिस्टम ऑफिसर, कार्यालय हाजा को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

21-2-24
(हरेन्द्र सिंह)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र